न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

सुरेश चंद पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन जिला करौली (राज0)

— प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्द प्रसाद पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन
2. हरिप्रसाद पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन
3. अशोक कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी किशननगर हिण्डौन
4. मधुरानी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बी केबिन के पीछे, महूकलां, गंगापुरसिटी
5. सतीशचंद पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी दुबेपाडा, तहसील हिण्डौन
6. नारायण पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी गौमती कॉलोनी, हिण्डौन
7. पुष्पा देवी पत्नि रामकुमार पुत्री मनोहरी जाति ब्राह्मण निवासी खेडापति मौहल्ला, महादेव के पास, भरतपुर
8. लता देवी पुत्री मनोहरीलाल पत्नि शिवानंद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नीमदा गेट, भरतपुर
9. सुगनदेवी पुत्री मनोहरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भुसावर
10. सुशीलादेवी पुत्री मनोहरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भुसावर
11. सरलादेवी पत्नि रोहित कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वासनगेट, रोहित मौहल्ला, भरतपुर
12. नूतन शर्मा पत्नि खगेद्र शर्मा निवासी रणजीत नगर, भरतपुर
13. कृष्णमोहन पुत्र मनोहरी लाल शर्मा निवासी भुसावर
14. महेन्द्र कुमार पुत्र मनोहरी लाल शर्मा निवासी भुसावर
15. राकेश पुत्र मनोहरी लाल शर्मा निवासी भुसावर
16. मीना पुत्री मनोहरी लाल शर्मा निवासी भुसावर
17. हरिबाबू शर्मा पुत्र गिर्राज प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खेडिया हाल एडवोकेट हिण्डौन सिटी
18. रामभरोसी गुप्ता पुत्र मनोहरीलाल निवासी महूंइब्राहिमपुर हाल एडवोकेट टोडाभीम कोर्ट कैम्पस, मुंसिफ
19. तहसीलदार तहसील हिण्डौन
20. उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने पत्रावली उनवानी हनुमान प्रसाद आदि बनाम गौरीशंकर आदि प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन</u>

निर्णय

दिनांक 11.11.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 235 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में विचाराधीन थे जो कि दिनांक 19.02.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। उक्त दोनो प्रकरणों को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2018 को आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी.का पेश

किया हुआ है। विवादित आराजी काफी कीमति भूमि है जिस पर भू–माफियों की नजर है और भू–माफियां प्रार्थी की भूमि को लट्ठ के बल पर प्रशासनिक ताकत के बल पर हडपना चाहते है जिसमें उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन से भू–माफियां साजकर प्रकरण में जनरल तारीख जाने के बाद अलग से नजदीकी तारीख लेकर निस्तारण कार्यवाही गलत करवा रहे है। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन से न्याय की उम्मीद नही है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये उनवानी प्रकरणों को अन्य न्यायालयों में स्थांतरित किये जाने के आदेश फरमाये।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गयी।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमनें उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि प्रार्थी के प्रकरण सें संबंधित एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में वर्ष 1996 से विचाराधीन था जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ने दिनांक 19.02.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद प्रार्थी के अलावा अन्य व्यक्तियों ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के यहां पर आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये हुये है जिसमें प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन से न्याय की उम्मीद ना होने का कारण अंकित किया गया है वहां पर अब वर्तमान में उस पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो चुका है चूंकि अब पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के पद पर नये उपखण्ड अधिकारी आ चुके है। जिससे प्रार्थी का कारण ही समाप्त हो चुका है जिस उद्देश्य से इस न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अन्य किसी न्यायालय को यह प्रकरण स्थानांतरण करना उचित नही समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तत्समय के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन को निर्णय प्रति एवं मूल प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. मय दावा एवं प्रार्थना पत्र भेजकर निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी को नियमानुसार सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:14:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: